दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 17.01.2023

<u>रि.या.(सि.)167/2023 और सि.वि. सं. 598/2023 और 599/2023</u>

रविन्द्र तिवारी .....याचिकाकर्ता

बनाम

उपराज्यपाल, रा.रा.क्षे. दिल्ली

सरकार व अन्य .....प्रत्यर्थीगण

<u>इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता :-</u>

याचिकाकर्ता के लिएः श्री अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री नीरज कुमार मिश्रा, श्री मनोज झा और सुश्री पारुल, अधिवक्तागण।

प्रत्यर्थीगण के लिएः श्रीमती अवनीश अहलावत, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की स्थाई अधिवक्ता सह श्री नितेश कुमार सिंह, सुश्री लावण्या कौशिक व सुश्री अलीज़ा आलम, प्रत्यर्थी सं.-1 के लिए अधिवक्तागण।

डॉ. अमित जॉर्ज, श्री रायादुर्गम भारती, श्री अर्कानील भौमिक, श्री अमोल आचार्य और श्री पियो हैरॉल्ड जैमन, प्रत्यर्थी सं.-2 के अधिवक्तागण।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति श्री विभु बाखरू

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमित महाजन

<u>निर्णय</u>

<u>विभु बाखरू, न्या.</u>

1. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रार्थना करते हुए दायर की है कि उसे दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (इसके बाद **'डीएचजेएस')** में एक अतिरिक्त रिक्ति बनाकर न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाए। याचिकाकर्ता आगे प्रार्थना करता है कि दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा-2022 (इसके बाद डीएचजेएस परीक्षा-2022) के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी किए गए, 24.02.2022 को प्रकाशित विज्ञापन (इसके बाद 'आक्षेपित विज्ञापन') में संशोधन करके अनुसूचित जातियों व जन जातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित करने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश जारी किए जाएं। याचिकाकर्ता यह भी प्रार्थना करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए उसके नाम पर विचार किया जाए। वैकल्पिक रूप से, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि डीएचजेएस परीक्षा-2022 के लिए आक्षेपित विज्ञापन को रद्द किया जाए।

2. प्रत्यर्थी सं.2 (इसके बाद **'डीएचसी'**) ने दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा (डीएचजेएस) में सीधी भर्ती के माध्यम से 45 (पैंतालीस) रिक्तियों (43 वर्तमान रिक्तियां और 02 प्रत्याशित रिक्तियां) को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 23.02.2022 को आक्षेपित विज्ञापन जारी किया था। उम्मीदवारों के चयन में एक के बाद एक तीन चरण शामिल थे। पहले चरण में, पात्र उम्मीदवारों को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में बैठना और उत्तीर्ण होना आवश्यक था। उक्त परीक्षा में 25 प्रतिशत निगेटिव मार्किंग के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य था। उक्त प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित) [इसके बाद **'डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य)'**] के लिए उपस्थित होने के पात्र होते, और उन उम्मीदवारों को, जिन्होंने उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी, *मौखिक परीक्षा* के लिए प्रवेश दिया गया था।

3. आक्षेपित नोटिस में निर्दिष्ट रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

> "भरे जाने वाले रिक्तियों का वर्ग वार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ग	रिक्तियों का विवरण		कुल रिक्तियों की संख्या
	वर्तमान	पूर्वानुमानित	

सामान्य	30	02	32
अनुसूचित जाति	07	00	07
अनुसूचित जनजाति	06	00	06
कुल	**43**	**02**	**45**

नोट I: उपर्युक्त 45 रिक्तियों में से, दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण इस प्रकार होगाः

वर्ग	रिक्तियां
पीडब्ल्यूडी (नेत्रहीन और कम दृष्टि)	02
दिव्यांगजन (विशिष्ट सीखने की अक्षमता) और दिव्यांगजन (कई विकलांगताएँ जिसमे दृष्टिहीनता और कम दृष्टि शामिल हो, एक हाथ, एक पैर, दोनों पैर, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन और एसिड अटैक और विशिष्ट सीखने की अक्षमता)	01
कुल मिलाकर	03”

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 23.04.2022 को आयोजित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी| उन्हें डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य) में भर्ती कराया गया था|

5. डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य) के परिणाम दिनांक 26.08.2022 को घोषित किए गए थे और याचिकाकर्ता ने दिनांक 14.05.2022 और 15.05.2022 को आयोजित उक्त परीक्षा को पास कर लिया था|

6. उक्त परिणाम घोषित होने के बाद, एक असफल उम्मीदवारों में से एक ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका [रि.या.(सि.) 739/2022 शीर्षक ***अनिल कुमार रि.या.(सि) दिल्ली उच्च न्यायालय***] दायर की जिसे दिनांक 16.09.2022 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया| इसके बाद, कथित याचिकाकर्ता (अनिल कुमार) ने इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका [रि.या.(सि.) 14252/2022] दायर की, जिसमें डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य) के एक पेपर में दिए गए अंकों में वृद्धि/पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई थी| कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी अन्य बातों के साथ-साथ डी.एच.जे.एस. परीक्षा (मुख्य) में दिए गए अंकों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं| इन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया।

7. असफल उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय को एक अभ्यावेदन दिया, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और डी.एच.जे.एस. परीक्षा (मुख्य) में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त 1.5 अंक (विधि पेपर-III में 1 अंक और सामान्य ज्ञान और भाषा में 0.5 अंक) प्रदान किए गए| सभी उम्मीदवारों को दिए गए अतिरिक्त अंकों को ध्यान में रखते हुए, तीन उम्मीदवार, जिन्होंने पहले अर्हता प्राप्त नहीं की थी, वे भी मौखिक परीक्षा *में प्रवेश* के लिए योग्यता प्राप्त कर चुके हैं|

8. याचिकाकर्ता और अन्य योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार (मौखिक) के लिए उपस्थित हुए| डीजेएचएस-परीक्षा-2022 के अंतिम परिणाम दिनांक

10.11.2022 को घोषित किए गए थे| याचिकाकर्ता को मेरिट लिस्ट में क्रम सं. 37 में स्थान दिया गया था| हालाँकि, वह दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियुक्त होने के हकदार नहीं हैं, क्योंकि सामान्य उम्मीदवारों के लिए केवल 32 रिक्तियों (प्रत्याशित रिक्तियों सहित) के लिए चयन किया गया था| और, याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं है|

9. एक उम्मीदवार, जो डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य) में असफल रहा था लेकिन सभी उम्मीदवारों को दिए जा रहे अतिरिक्त 1.5 अंकों के आधार पर अर्हता प्राप्त कर चुका था, का चयन किया गया था और उसे क्रम संख्या 21 पर रखा गया था| अन्य दो असफल अभ्यर्थीयों, जिन्होंने अतिरिक्त अंकों की प्राप्ति के आधार पर *मौखिक परीक्षा* में उपस्थित होने के लिए अर्हता प्राप्त कर ली थी, उनका चयन नहीं किया गया था।

10. याचिकाकर्ता, अनिवार्य रूप से, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में चयनित न होने से व्यथित है। उन्होंने उक्त सेवा में नियुक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया और रिक्तियों के वितरण को लेकर कई चुनौतियां पेश की हैं। पहला, याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को वीआरक्षित किया जाना चाहिए और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का प्रतिवाद है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियां लंबे समय से नहीं भरी गई हैं और

इसलिए इन्हें वीआरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, याचिकाकर्ता डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य) में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को 1.5 अंक दिए जाने को भी चुनौती देता है। उसने यह भी दावा किया कि वह ईडब्ल्यूएस वर्ग से संबंधित है और इसलिए, उन्हें डीएचजेएस में नियुक्त किया जाना चाहिए।

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्हा ने ***मनीष शर्मा बनाम उपराज्यपाल व अन्य : याचिका संख्या रि.या.(सि) 747/2018, दिनांक 28.08.2019 को निर्णित,*** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय का सन्दर्भ दिया, तथा इस निर्णय के बल पर, प्रतिवाद किया कि दिए गए मामलों में, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, न्यायालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अपयोजीत कर सकता है। उसने ***अमरदीप सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य : सि.रि.या. 1624/2008 व सि.रि.या 1122/2009, दिनांक 17.09.2009 को निर्णित***, मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय का भी सन्दर्भ लिया यह प्रतिवाद करने के लिए भी कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों को तीन वर्ष से अधिक समय के लिए अग्रनीत नहीं किया जाना चाहिए। उस मामले में, उच्च न्यायालय ने ने एक परिपत्र दिनांकित 26.07.1989 को दरकिनार कर दिया था, जिसमें रिक्तियों को वीआरक्षित करने के लिए समय सीमा को हटा दिया गया था,

जिससे रिक्तियों को शाश्वत रूप से अग्रनीत करना अनिवार्य बना दिया गया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का विचार था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को तीन वर्ष से अधिक समय के लिए अग्रनीत नहीं किया जाना चाहिए।

12. उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री सिन्हा ने ***एस. एन. अग्रवाल बनाम भारत संघ व अन्य : 45 (1991) डीएलटी 609 (डीबी)*** मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय का भी उल्लेख किया थाः जिसके द्वारा इस न्यायालय ने अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समायोजन का निर्देश दिया था।

13. अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि अभ्यर्थियों को 1.5 अंक देना अवैध है क्योंकि यह आक्षेपित अधिसूचना के विपरीत है। अंकों के पूर्णांकन की अनुमति नहीं है और अनुग्रह अंक देने का कोई आधार नहीं था। वे प्रतिवाद करते हैं कि अतिरिक्त अंक केवल निश्चित अभ्यर्थियों को समायोजित करने के लिए दिए गए थे जो योग्यता मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे थे, हालांकि कुछ अंकों से।

14. डीएचसी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता डॉ. अमित जॉर्ज ने उपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अनुसूची जातियों / अनुसूची जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर बिना किसी आपत्ति के 32 (बत्तीस) रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया

था। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को अब चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद नोटिस को चुनौती देने से रोक दिया गया है। उन्होंने **कुलविंदर पाल सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य:** ***(2016) 6 एस.सी.सी. 532*** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया उन्होंने प्रस्तुत किया कि 81वें (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड (4बी) को शामिल करने के बाद, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए खाली रिक्तियों को 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता को क्रम नं. 37 पर रखा गया है और केवल एक अभ्यर्थी, जिसने 1.5 अंक अतिरिक्त प्रदान करने के आधार पर डीएचजेएस परीक्षा (मुख्य) में अर्हता प्राप्त की थी, का चयन किया गया है। इस प्रकार, भले ही डीएचजेएस परीक्षा-2022 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को अतिरिक्त 1.5 अंक देने की याचिकाकर्ता की चुनौती स्वीकार कर ली जाती है और कथित अभ्यर्थी (जो क्रम संख्या 21 में दर्जे पर है) अयोग्य पाया जाता है, तो याचिकाकर्ता को उसकी जगह पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि, योग्यता के क्रम में याचिकाकर्ता का स्थान योग्यता सूची में 37वें स्थान से उन्नति होकर आदेश 36 वें स्थान पर पहुंच

जाएगी; लेकिन इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को 32 उम्मीदवारों की चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

17. सम्बोधित किया जाने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली रिक्तियों को अनारक्षित करने और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों में जोड़े जाने पर जोर देकर दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति पाने का कोई अधिकार है?

18. जैसा कि ऊपर कहा गया है, याचिकाकर्ता ने रिक्तियों के आवंटन के बारे में बिना किसी आरक्षण के आक्षेपित अधिसूचना के अनुसरण में चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। याचिकाकर्ता को चयनित होने में असफल होने के बाद 13.10.2022 की अधिसूचना को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है| उच्चतम न्यायालय ***ने रमेश चंद्र शाह और अन्य बनाम अनिल जोशी और अन्य: (2013) 11 एस.सी.सी. 309*** मामले में अभिनिर्धारित किया कि वे उम्मीदवार, जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था किंतु असफल रहे थे, चयन प्रक्रिया को चुनौती देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन किसी राहत की मांग करने के हकदार नहीं हैं। अदालत ने कहा कि उन्हें "विज्ञापन और चयन की प्रक्रिया को चुनौती देने के अपने अधिकार को छोड़ दिया गया था माना गया।"

19. हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता, अधिकार के रूप में, यह दावा नहीं कर सकता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित किया जाए। **कुलविंदर पाल सिंह और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** (उपरोक्त) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति अन्य पिछड़े वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा 7 के प्रावधानों पर विचार किया। उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि किसी भी संस्थान में किसी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किसी भी आरक्षित वर्ग का अनारक्षण नहीं किया जाएगा। हालांकि, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) ने नियुक्ति प्राधिकारी को इन रिक्तियों के अनारक्षण के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग को संदर्भित करने के लिए सक्षम बनाया, यदि नियुक्ति प्राधिकारी ने उक्त रिक्तियों को भरने के लिए जनहित में आवश्यक समझा। पूर्वोक्त संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया थाः- -

> “15. धारा 7 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि एक सामान्य नियम के रूप में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद के वि-आरक्षण पर रोक है। हालांकि, उप-खंड (2) में इस सामान्य नियम का एक अपवाद प्रदान किया गया है, जिसमें अधिकथित किया गया है कि जनहित में

प्राधिकारी लिखित आदेश पारित करके अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों को वि-आरक्षण कर सकते हैं। 81वें (संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड (4-ख) को शामिल करने के बाद, वि-आरक्षण नहीं किया जा सकता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ख) के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित खाली पदों को पचास प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा से स्वतंत्र रूप से अग्रनीत किया गया जाना है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों को केवल निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा भरा जाना है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सात पदों के वि-आरक्षण में खामियां को सही माना था जिनको सामान्य श्रेणी से संबधित उम्मीदवारों द्वारा भरे गए और हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला।"

20. या चिकाकर्ता को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त होने का कोई अजेय अधिकार नहीं है| हम यह स्वीकार करना करने में असमर्थ हैं कि अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित

रिक्तियों के वि-आरक्षण के लिए कोई भी कार्य करने के लिए प्रत्यर्थी को कोई आदेश या निर्देश जारी करने की आवश्यकता है| यदि आरक्षित रिक्तियों का वि-आरक्षण प्रत्यर्थीगण द्वारा आवश्यक समझा जाता है इस कारण के तरह कि अर्हक मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों के अभाव में ये काफी लम्बे समय से खाली पड़ी है तो प्रत्यर्थीगण ऐसी रिक्तियों को वि-आरक्षण करने की कार्य शुरू कर सकते हैं। यदि ऐसी कोई रिक्ति वि-आरक्षण होती है तो यह भविष्य में आयोजित चयन प्रक्रिया के अनुसार भरी जाने के लिए उपलब्ध होगी। किसी भी दृष्टिकोण से, ऐसी रिक्तियों को चयन प्रक्रिया जो कि आक्षेपित विज्ञापन के अनुसरण में शुरू हुई थी के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि आक्षेपित अधिसूचना द्वारा विज्ञापन दिया गया है आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित रिक्तियों को परिवर्तित करके रिक्तियों में वृद्धि नहीं की जा सकती है।

21. याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार है क्योंकि वह ई.डब्ल्यू.एस से संबंधित है भी अयोग्य है। इस विज्ञापन में ई.डब्ल्यू.एस कोटि के लिए ऐसा कोई आरक्षण नहीं था।

22.याचिका अयोग्य है और, तदनुसार, खारिज की जाती है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटान किया जाता है।

विभू बकरू न्या.

अमित महाजन न्या.

17 जनवरी,2023 / आरके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*